फर्द अहकाम

रामानन्द वगै० बनाम कैलाश वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 53/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में वाद पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने तथा वकील वादी की बहस को सुनने पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधि० की परिधि में पाया जाता है तथा विरुद्ध विपक्षी प्रथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जाता। विपक्षी आदि [illegible] तलब किया जावे। पत्रावली फैसलशुदा होकर जारी रजिस्टर से कम हो तकमील बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
53/2024	29/04/2024	30/09/2024

1. रामानन्दा पुत्र बिरदा
2. सीताराम पुत्र बिरदा
3. राजूलाल पुत्र रामकिशन
4. राधेश्याम पुत्र रामकिशन
5. कमलेश पुत्र रामकिशन
6. रामप्यारी पत्नी रामकिशन

समस्त जाति हरियाण ब्राहमण निवासी ग्राम रामजीपुरा बास, नायला पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भैरू
2. गिर्राज पुत्र भैरू
3. कृष्ण पुत्र कैलाश
4. राहूल पुत्र कैलाश
5. सुरेश पुत्र गिर्राज
6. लालचन्द पुत्र गिर्राज

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम रामजीपुरा बास, नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादीगण।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64/2 रकबा 0.5700है0 एवं वादी सं0 2 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64/1 रकबा 0.6000है0 ग्राम रामजीपुरा बास , नायला तहसील जवमारामगढ में स्थित है। जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 64/1, 64/2 के पूर्व दिशा मे खसरा नम्बर 51 है जो प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 64/1 और 64/2 वादीगण की खातेदारी भूमि है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिसमें खसरा नम्बर 64/1 वादी सं0 3 ता 6 एवं उनकी बहन मंज और भौरी की खातेदारी भूमि है। तथा खसरा नम्बर 64/2 वादी सं0 1 व 2 की भूमि है। जिस पर वादीगण काश्त करते आ रहे है। और बहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करते आ रहे है । उक्त भूमि मे कृषि कार्य विधिवत करते आ रहे है। जिससे अन्य किसी का कोई संबंध सरोकार नही है। परन्तु प्रतिवादीया आये दिन वादी की उक्त भूमि में किसी न किसी प्रकार से दखल उत्पन्न कर उक्त भूमि में काश्त करने एवं उसका उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते रहते है। उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है, जबकि प्रतिवादीया को कोई संबंध सरोकार उक्त भूमि पर नही है और ना ही किसी प्रकार का अधिकार प्रतिवादीगण को नही है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 खसरा नम्बर 51 के खातेदार है और प्रतिवादी सं0 3 ता 6 प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पुत्र है जो आये दिन खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(72)

नम्बर 64/1 पूर्वी दक्षिणी कोने में मकान बनाकर और निर्माण कर दखल उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है। तथा खसरा नम्बर 64/2 के दक्षिणी पूर्वी कोने में बाउन्डरीवाल लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है। और खसरा नम्बर 64/2 में तथा खसरा नम्बर 64/1 मे आने जाने का रास्ता रोकने पर आमादा है। अतः उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 64/1 रकबा 0.6000है0 एवं खसरा नम्बर 64/2 रकबा 0.5700है0 में वादीगण के कब्जे काश्त मे तथा वादीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा वादीगण की उक्त भूमियों की सीमाओं में किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का कार्य नही करें, ना ही निर्माण इत्यादि करें और ना ही ऐसा अपने ऐजेन्ट अथवा सर्वेट से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ता 6 उपस्थित नही। अतः दिनांक 23.08.24 को प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम रामजीपुरा बास, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 64/1 रकबा 0.6000है0 एवं खसरा नम्बर 64/2 रकबा 0.5700है0 में वादीगण के कब्जे काश्त मे तथा वादीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा वादीगण की उक्त भूमियों की सीमाओं में किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का कार्य नही करें, ना ही निर्माण इत्यादि करें और ना ही ऐसा अपने ऐजेन्ट अथवा सर्वेट से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30/09/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर